कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री Panasonic India P.Ltd. Ist Floor, Indo Bulgar Foods Compound, Delhi Meerut Road, Ghaziabad.**
प्रार्थना पत्र संख्या	**19 / 12**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अनिल मिश्रा, सी0 ए0 एवं फर्म मैनेजर-श्री अमित रस्तोगी।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-19 / 12, दिनांक 09.03.2012 प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा Digital Still Camera पर कर का दायित्व जानना चाहा गया है।

2. व्यापारी की ओर से श्री अनिल मिश्रा, सी0 ए0 एवं फर्म मैनेजर-श्री अमित रस्तोगी उपस्थित हुए। उनके द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि All digital cameras have been grouped under Tariff item 8525 80 20 of Custom Tariff Act 1975 as digital camera. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इक्साइज एण्ड कस्टम में भी इसको Still Image Video Camera के अन्तर्गत माना गया है और यह आई0 टी0 प्रोडक्ट है। यह भी कहा कि आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, गुजरात और गोवा में भी Digital Still Camera को Digital Still Image Video Camera के अन्तर्गत माना गया है। Digital Camera का मुख्य कार्य-still image recording है, लेकिन कुछ समय के लिए moving image अर्थात video recording भी कर सकता है। अन्त में Digital Still Camera को Digital Still Image Video Camera के अन्तर्गत मानते हुए प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करने का अनुरोध किया गया है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम के पत्रांक-1602, दिनांक 10.09.2012 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है। आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 में Digital Still Image Video Camera की प्रविष्टि है। Digital Still Camera किसी अनुसूची में न होने क कारण उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 में Digital Still Image Video Camera की प्रविष्टि है। इन कैमरों के द्वारा वीडियो रिकार्डिंग (मूवी फिल्मस) अनलिमिटेड टाइम तक की जा सकती है। जबकि Digital Still Camera से स्थिर फोटोग्राफ लिये जा सकते हैं, इनसे कुछ समय तक के लिए ही वीडियोग्राफी की जा सकती हैं। इस प्रकार से Digital Still Camera उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 के अन्तर्गत रखे गये Digital Still Image Video Camera से भिन्न है। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा सर्वश्री जिन्दल फोटो लि0, 35 के0 एम0, दिल्ली-हापुड़ रोड, जिन्दल

...2

नगर, गाजियाबाद के धारा-59 के अपने निर्णय दिनांक 09.07.2009 में अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि Digital Still Image Camera उत्तर प्रदेश वैट एक्ट, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 के अन्तर्गत नहीं आते हैं और तदनुसार इन पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता होगी। इस प्रकार Digital Still Camera, Digital Still Image Video Camera से भिन्न है और इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 पर Digital Still Image Video Camera को वर्गीकृत किया गया है। इन कैमरों के द्वारा वीडियो रिकार्डिंग (मूवी फिल्मस) अनलिमिटेड टाइम तक की जा सकती है। जबकि Digital Still Camera से स्थिर फोटोग्राफ लिये जा सकते हैं, इनसे कुछ समय तक के लिए ही वीडियोग्राफी की जा सकती हैं। इस प्रकार से Digital Still Camera उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ख की प्रविष्टि संख्या-06 के अन्तर्गत रखे गये Digital Still Image Video Camera से भिन्न हैं। पूर्व में भी सर्वश्री जिन्दल फोटोग्राफ लि0, गाजियाबाद के मामले में कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.07.2009 से यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अत: Digital Still Camera पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5%+ विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 20 सितम्बर, 2012

ह0 / 20.09.2012

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।